खान मंत्रालय

## श्री बलविन्दषर कुमार ने केन्द्री य भूगर्भीय प्रोग्रामिंग बोर्ड की 56वीं बैठक की अध्य क्षता

## भारत की विशाल खनिज संपदा के दोहन की आवश्य कता है : खान सचिव

Posted On: 09 FEB 2017 7:38PM by PIB Delhi

खान सचिव शरी बलविन्दर कुमार ने नई दिल्ली में खान मंतुरालय के भारत भूगर्भीय सर्वेक्षण (जीएसआई) के केन्द्रीय भूगर्भीय परोग्रामिंग बोर्ड (सीजीपीबी) की 56वीं बैठक का उद्घाटन किया। सदस्यों को संबोधित करते हुए श्री बलविनुदर कुमार ने कहा कि भारत के पास विशाल खनिज संसाधन है, जिसका दोहन नहीं किया गया है। इसके लिए जीएसआई तथा अनुय हित्धारकों द्वारा चलाई जा रही भूविज्ञान की सभी गतिविधियों में तालमेल के लिए सीजीपीबी महतवपूर्ण मंच है। खनन अर्थवयवसथा का महतवपूर्ण क्षेतर है और देश की जीडीपी में महतवपूर्ण योगदान करता है। खनिज क्षेतर में जनवरी 2015 में बने एमएमडीआर संशोधन अधिनियम के बाद से पिछले दो वर्षों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है।

## प्रमुख परिवर्तन है:

- 1. केवल नीलामी द्वारा खदानों का आबंटन।
- 2. जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) बनाना और पीएमकेकेकेवाई के माध्यम से खनन कार्य से प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए एकतिरत कोष का
- 3. राष्ट्रीय खनिज खोज ट्रस्ट (एनएमईटी) बनाना।
- 4. राष्ट्रीय खनिज खोज नीति जुलाई, 2016 से लागू तथा
- 5. अवैध खनन के लिए पेनेल्टी में वृद्धि।

2016-17 में 21 खनन पटटों की सफलतापर्वक नीलामी की गई और इससे 50 वर्षों में एकतिरत राजसव के बराबर 94 हजार करोड़ रूपये की राजसव प्राप्ति हुई। वर्ष 2017-18 खनन और खनिज क्षेत्र में महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि कई अन्य खदान ब्लॉकों की नीलामी शुरू होगी और खनन पट्टे का आबंटन किया जाएगा। वर्ष 2017-18 में लगभग 300 ऐसे पट्टे नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। जीएसआई ने क्षेत्रीय खोज के लिए एक सौ ब्लॉकों को चि॰न्हति किया है, जिन्हें उन्नत बनाया जाएगा।

अपतटीय क्षेत्र में 2015 तक बहुत कार्य नहीं हुए, क्योंकि स्पष्ट नियम लागू नहीं थे। खान मंत्रालय अब तटीय खनिज विकास अधिनियम का नया पुरारूप तैयार करने की योजना बना रहा है और यह दो से तीन महीने में बन जाएगी। इस अधिनियम से 30,000 करोड़ रूपये के अपतटीय संसाधनों का दोहन किया जा सकता है। श्रीबलविन्दर कुमार ने कहा कि अत्याधुनिक टैक्नोलॉजी से युक्त नये भू-तकनीकी जहाज जीएसआई द्वारा खरीदे जा रहे हैं।

दो दिन की बैठक में बोर्ड सीजीपीबी की सभी 12 विषय संबंधी सिमितियों की सिफारिशों पर विचार करेगा। केनद्रीय विद्युत कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा खान राजय मंतरी (सवतंतर परभार) शरी पीयुष गोयल ने सीजीपीबी की 56वीं बैठक के सभी सतरों में सार्थक विचार-विमर्श के लिए शुभकामना व्यक्त की।

\*\*\*\*

वीके/एजी/जीआरएस-352

(Release ID: 1482411) Visitor Counter: 7







